

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य प्रशिक्षकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो उस क्रमांक परं दिनांक आवश्य सिखा जावे जिससे संविदा हो।



ग्राम : गूलीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5205

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विद्यावाहिनी शिक्षा महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति नमोद्या/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विनाशकुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442877)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिक्षिता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अवधोष है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विनीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा विद्युति सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की विनियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर विनीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में विनीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विनीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विनीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विनीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय स्वर्वं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आवृक्त उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विनीक्षण बहीं करता है तो समिति उत्तर दिरस्त हो जावेगी और पुब्लिक निरीक्षण गढ़ी हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही विनीक्षण समिति का पुब्लिक विनीक्षण किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।"

विनीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विनीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विनीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / भावदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचालित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विनीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विनीक्षण करायें। उक्त विनीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आवृक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)